"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2016— कार्तिक 25, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 (कार्तिक 25, 1938)

क्रमांक-11864/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) जो बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र.19 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा (2) में, शब्द "राज्य शासन" के पश्चात्, शब्द "उच्च न्यायालय के परामर्श से" अन्त:स्थापित किया जाये.

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्र. 2 सन् 2016) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र.19 सन् 2012) की धारा 6, संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकरण, जो कि एक न्यायालय है, की स्थापना तथा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये उपबंध करता है;

अन्य राज्यों के भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में, अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श करने का प्रावधान है;

अतएव, उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये, अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी प्रक्रिया शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 9 नवम्बर, 2016

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) के संबंध में विवरण

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र.19 सन् 2012) की धारा 6, संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकरण, जो कि एक न्यायालय है, की स्थापना तथा उसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये उपबंध करता है. अन्य राज्यों के भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में, अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श करने का प्रावधान है;

अतएव, उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये, अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी प्रक्रिया शामिल करने की सामयिक आवश्यकता तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिये इस प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 313 के खण्ड-01 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) दिनांक 29-09-2016 को जारी किया गया.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा (2) का उद्धरण

क्रमांक	धारा	विधेयक के वर्तमान प्रावधान
1.	6 (2)	राज्य शासन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से अनिम्न के सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.